ब्रिटिश काल में पूर्वी पंजाब (आधुनिक हरियाणा) में स्त्री शिक्षा का अध्ययन : 1800–1900

प्रवीन कुमार

शोधार्थी

इतिहास विभाग

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र

सारांश :

पंजाब जिसका विलय 1849 ई॰ में ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। उस समय इसमें पाँच डिविजन जैसे अम्बाला, मुलतान, लाहौर, जालन्धर तथा रावलपिंडी थे । औपनिवेशिक काल में अम्बाला डिविजन को दक्षिणी–पूर्वी पंजाब अर्थात् हरियाणा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था ।[1] जो ब्रिटिश के अधीन पंजाब का एक अवशेष बहुत पिछड़ा हुआ और निर्माणाधीन क्षेत्र था उस समय अम्बाला डिविजन में रोहतक, हिसार, गुड़गांव, करनाल, अम्बाला और शिमला नामक जिले विद्यमान थे ।[2]

19वीं शताब्दी के शुरू में अन्य क्षेत्रों की भांति हरियाणा क्षेत्र में भी शिक्षा की परिभाषा आज कल की भाषा से भिन्न थी, उसका स्वरूप भी भिन्न था । "जिससे व्यक्ति अपने परंपरागत व्यवसाय में दक्ष हो वही शिक्षा होती है । उस समय यहां की शिक्षा के बारे में लोगों की ऐसी धारणा थी अर्थात् दूसरे अर्थ में कि शिक्षा हर आदमी के लिए तब अलग–अलग मायने रखती थी । मसलन ब्राह्मण के बच्चे को संस्कृत तथा धर्मग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करना इसलिए जरूरी था जिससे वह कर्मकांड आदि करा सके । मुसलमान पीर–फकीर के लिए इसी प्रकार अरबी तथा कुरान शरीफ का ज्ञान ही शिक्षा थी । व्यापारी के लड़के के लिए मुंडी आदि का हिसाब किताब, कृषक–पुत्र के लिए कृषि की जानकारी आदि ही शिक्षा थी। इससे परे शिक्षा ग्रहण करना समय नष्ट करना माना जाता था ।"[3]

प्राकक्थन :

19वीं शताब्दी से पूर्व कम्पनी सरकार का रवैया शिक्षा के प्रति उदासीन था । पर 1813 ई॰ में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया । इस 1813 ई॰ के चार्टर के अन्तर्गत सरकार को शिक्षा में योगदान देने का उत्तरदायित्व प्रदान करते हुए शिक्षा से सम्बद्ध एक विशेष विधि द्वारा यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रबुध भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए, तथा ब्रिटिश भारतीयों में ज्ञान–विज्ञान का प्रसार करने हेतु एक लाख रूपये का अनुदान अलग से रखा जाए ।[4] पर बड़े खेद से यह हिदायत सरकारी फाइलों तक ही सीमित रही थी । परन्तु कम्पनी का एक अधिकारी विलियम फ्रेजर ने इस उद्देश्य का पालन करते हुए सोनीपत क्षेत्र में अपने खर्च पर कृषक बच्चों के लिए कुछ विद्यालय खोले पर ये विद्यालय अधिक समय तक न चल सके । 1823 ई॰ में शिक्षा को नियंत्रित तथा उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा "जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन" गठित की गई, पर दुर्भाग्यवश यह अधिक समय तक सफल नहीं हो सकी तथा 29 नवम्बर, 1823 ई॰ को इस समिति के अधिकारियों ने इसे यह कहकर ठुकरा दिया कि यह हमारी नीति के विरूद्ध है।[5]

इसी समय उत्तर पश्चिम प्रान्त के गवर्नर थोमसन (1843–1853) ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी रूचि ली । उसने एक योजना मौलिक शिक्षा को सर्वोच्च सरकार व कोर्ट के निर्देशों से मान्यता दिलवाई । थोमसन वह प्रथम व्यक्ति था जिसने ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र में जन–शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भू–कर पर उपकर निर्धारित करके सगृहित किया तथा इस उपकर के साथ–साथ सहकारी फण्डों से भी आर्थिक सहायता की । उपरोक्त योजना 1850 ई॰ में उत्तर पश्चिमी प्रान्त के आठ जिलों में प्रयोगात्मक रूप से लागू की गई।[6] इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा क्षेत्र को भी इसका लाभ मिला ।[7] पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849 ई॰ के पश्चात् यहां पर आधुनिक शिक्षा को उन्नत करने का प्रयास किया गया । प्रारम्भ के चार वर्षों तक शिक्षा को न्यायिक कमीश्नर रोर्बट मोटगुमरी की देखरेख में रखा गया तथा इसका अनुगमन करते हुए सितम्बर 1854 ई॰ में इस कार्य को न्यायिक कमीश्नर के अनुरोध पर वित्तीय कमीश्नरों की देखरेख में स्थानान्तरण किया गया तथा इसमें कुछ संशोधन भी किए गए।[8] सन् 1854 में चार्ल्स वुड के "शिक्षा विषयक डिस्पैच" नामक शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र में युरोप की भांति कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य में सुधार करके शिक्षा को बढ़ावा देना था । इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए निजी शिक्षा संस्थानों व मिशनरियों को शिक्षा का प्रसार करने के लिए तथा नौजवान लड़कियों व स्त्रियों को शिक्षा में उत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई ।[9]

शोध पद्धति :

वर्तमान शोध–पत्र प्राथमिक व द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है। राज्य सरकार की विभिन्न रिपोर्ट, शैक्षणिक व आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, समाचार पत्रों, पुस्तकों, लेख आदि सामग्री से आंकड़े संग्रहित किए गए हैं और ऐतिहासिक शोध पद्वति का प्रयोग किया गया है ।

उद्देश्य :

- औपनिवेशिक काल में स्त्री शिक्षा का अध्ययन ।
- शिक्षा संस्थानों, मिशनरियों व सरकार का स्त्री शिक्षा के विकास में योगदान का अध्ययन ।
- ब्रिटिश सरकार का स्त्री शिक्षा के प्रति नजरिया व स्त्रीयों की स्थिति का अध्ययन ।

ब्रिटिश काल में स्त्री शिक्षा :

सन् 1858 ई॰ के अधिनियम के अन्तर्गत भारत पर ब्रिटिश कम्पनी के शासन के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार स्थापित हो गया । उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत हरियाणा क्षेत्र की सीमाओं में भी फेर बदल हुआ तथा इसे पंजाब का अंग बनाया गया तब इस नयी सरकार ने यहां पर अन्य सुधारों के साथ–साथ शिक्षा में सुधार करने की सोची । 1863–64 ई॰ में हरियाणा में शिक्षा का निरिक्षण करने के लिए एक अलग से निरिक्षण–कर्त्ता भेजा गया । यहां पर सन् 1864 ई॰ में स्त्रियों तथा समाज के मध्यम व निम्न वर्ग के लोगों में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली व अम्बाला में दो महत्त्वपूर्ण सम्मेलन किए गए तथा शिक्षा उपलब्ध करवाने वाली नीजि एजेन्सियों को नए विद्यालय खोलने के लिए अधिक से अधिक अनुदान उपलब्ध करवाए गए ।[10]

हरियाणा के लोग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे । यहां पर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले स्त्रोतों का सदा अभाव बना रहा,[11] अर्थात् यहां शिक्षा सुविधाएं नहीं के बराबर थी । जिसके कारण यहां पर लगभग 87 फीसदी जनसंख्या अशिक्षित थी । इस क्षेत्र में कोई भी कॉलेज नहीं था । यदि किसी भी व्यक्ति को उच्च

शिक्षाध्ययन करना पड़ता तो इसके लिए उसको लाहौर या दिल्ली जाना पड़ता था । यहां पर उच्च विद्यालय व अन्य विद्यालय भी बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध थे।[12] इस समय शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति और भी असन्तोषजनक थी अर्थात् बहुत कम स्त्रियां ही शिक्षा ग्रहण करती थी ।[13] भारत में स्त्री शिक्षा कोई आधुनिक भारत की देन नहीं है अपितु यह यहां की एक महान् प्राचीन परम्परा रही है । प्राचीन भारत में सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों ही रूपों में स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा के संदर्भ में स्त्री–पुरुष दोनों की स्थिति समान थी। लड़कियाँ समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने की हकदार थी तथा इस मामले में उनकी महत्त्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी । लड़कियां लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती थी।[14] कालान्तर में इनकी स्थिति अपेक्षाकृत निम्न होती गई व मनु द्वारा स्त्रियों के उपनयन संस्कार पर रोक लगाने से स्त्री शिक्षा को काफी हानि पहुंची। हर्ष के काल के बाद तो हरियाणा क्षेत्र में स्त्री शिक्षा केवल कुछ उच्चवर्गीय प्रबुद्ध परिवारों तक ही सीमित रह गई थी ।[15]

मध्य युग आते–आते यह अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई । मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण ही बाल विवाह, पर्दा प्रथा, कन्या विवाह, कन्या वध आदि कुप्रथाएं समाज में प्रचलित हुई । इन सबके कुप्रभावों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण यहां पर स्त्री शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं रही। उच्च वर्ग के लोग अपनी लड़कियों को घर पर ही शिक्षा दिलवाते थे । जोकि केवल 0.5 प्रतिशत ही थी ।[16]

स्त्री शिक्षा के संदर्भ में स्वामी दयानंद सरस्वती का मत था कि शिक्षा से कर्म तथा मार्ग प्रशस्त होता है तथा कर्म मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से करना होता है । उन्होंने वृतिवादियों के इस तर्क से असहमति जताई कि स्त्रियों को शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि ताकि वे शिक्षित होकर पत्नी तथा माँ के रूप में अपने कर्त्तव्यों का सम्यक् निर्वहन कर सके । स्वामी दयानन्द सरस्वती शिक्षा तथा कार्य में कोई संबंध स्थापित करते नजर नहीं आते, यद्यपि उनका यह भी विश्वास था कि माँ के रूप में स्त्री की भूमिका शिशु जन्म तथा इसके पश्चात् के रहन–सहन सम्बन्धी मानदण्ड स्थापित करने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है।[17]

19वीं सदी के हरियाणा को देखने पर पाते है कि स्त्री शिक्षा पर कठोर प्रतिबन्ध तो नहीं था, किन्तु स्थिति कुछ ऐसी थी कि उच्च श्रेणी के कुछ परिवारों को छोड़कर साधारण व्यक्ति अपनी लड़कियों को विद्यालय में भेजना पसन्द नहीं करते थे । इस समय एक लड़की के विद्यालय में जाने के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता था । सन् 1860 ई॰ में गुड़गांव के एक डिप्टी कमीश्नर ने यह देखा कि जाट अपनी लड़कियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझते क्योंकि वो सोचते थे कि लड़कियों को शिक्षित करने का कोई फायदा नहीं बल्कि शिक्षा उन्हें बेसमझ बना देती है । ऐसी ही प्रवृत्ति अन्य जातियों में भी प्रचलित थी तथा उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों में तो दशा ओर भी शोचनीय थी ।[18] अध्ययनाधीन शती के शुरू में रोहतक, हिसार, गुड़गांव में हिन्दुओं के कुल 70 विद्यालय थे, जिनमें 70 अध्यापकों द्वारा 886 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे । पानीपत में 5–6 विद्यालय खुले थे तथा करनाल में केवल एक ही विद्यालय स्थापित था । इन सभी विद्यालयों में शिक्षा ब्राह्मणों या मौलवियों द्वारा मन्दिरों व मस्जिदों में दी जाती थी । शिक्षा ग्रहण करने के तरीके वही पुराने व अवैज्ञानिक ही थे । सब कुछ याददास्त पर निर्भर था ।[19]

सन् 1854 ई॰ में भावी शिक्षा के लिए एक योजना "चार्ल्स वुड का डिस्पैच" प्रस्तुत की गई । इसके अनुसार देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए । प्रस्ताव क्रियान्वित होने पर इसका प्रभाव हरियाणा क्षेत्र पर भी पड़ना संभव था जिसके परिणाम स्वरूप 1856 ई॰ में दिल्ली, गुड़गांव, रोहतक जिलों में तहसीलदारी स्कूल खोले गए तथा कुछ समय पश्चात् अन्य जिलों में भी ये विद्यालय खोले गए । इन स्कूलों की भांति यहां पर कस्बा विद्यालय भी खोले गए। ये विद्यालय शाहबाद, लाडवा, थानेसर, कैथल, सढ़ौरा, सोनीपत, गुड़गांव, पलवल, पानीपत, हांसी, झज्जर, बहादुरगढ़ में

स्थापित किए गए । इसी समय कई कस्बों में उच्च विद्यालय भी स्थापित किए गए जैसे सन् 1856 में करनाल, रोहतक में तथा सन् 1857 में भिवानी, रेवाड़ी, दिल्ली, अम्बाला, जगाधरी में स्थापित किए गए । इसी समय "हलकाबंदी' योजना के अन्तर्गत कुछ विद्यालय स्थापित किए गए । जिसमें प्रत्येक 10–20 गांवों के मध्य एक विद्यालय खोलने की मांग थी। लेकिन 1857 की क्रान्ति तक ये सब बिल्कुल ठप्प हो गए ।[20]

1860 ई॰ से 1900 ई॰ तक हरियाणा में कन्या विद्यालयों व छात्राओं की संख्या"[21]

जिला	1860–61[22]	1870–71	1880–81	1890–91	1900–01
अम्बाला	विद्यालय– 10 छात्राएँ –172	9 203			4 232
रोहतक	विद्यालय–1 छात्राएँ –13	1 16		4 124	5 209
करनाल	विद्यालय–5 छात्राएँ –58	10 117	2 68	1 7	4 87
हिसार	विद्यालय–2 छात्राएँ–18	4 113			5 197
गुड़गांव	विद्यालय–15 छात्राएँ–294	9 185	4 105	8 128	11 243

उपरोक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि 1860–61 ई॰ में हरियाणा क्षेत्र में लड़कियों के लिए विभिन्न जिलों में 33 विद्यालय स्थापित थे जिनमें 555 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही थी जबकि 1900–01 ई॰ में विद्यालय संख्या घट कर 29 रह गयी थी और छात्राओं की संख्या बढ़कर 968 हो गयी थी । अर्थात् दिल्ली क्षेत्र में 1900–1901 में अधिकतम महिला साक्षरता 0.6 फीसदी थी तथा अम्बाला में इनकी स्थिति 0.4 फीसदी व करनाल हिसार और रोहतक में स्थिति और भी बदत्र अर्थात् 0.1 फीसदी थी । 1900–01 से पूर्व इस क्षेत्र में कोई माध्यमिक विद्यालय खोला नहीं गया था ।[23]

विशेष रूप से, जिला अम्बाला में महिला शिक्षा के लिए कुछ प्रयत्न किए जा रहे थे । 1877–78 में यहां पर केवल 2 देशीय प्राथमिक विद्यालय थे जिनमें केवल 37 लड़कियाँ ही शिक्षा ग्रहण कर रही थी। 1891–92 तक आते–आते यहां पर विद्यालय संख्या बढ़कर 8 और छात्रा संख्या 244 हो गई थी । किन्तु यहां पर अधिकतर शिक्षा धार्मिक थी जो हिन्दू, मुस्लिम, सिख व ईसाई मिशनरियों द्वारा निजी तौर पर दी जाती थी ।[24]

यदि भिवानी क्षेत्र में महिला शिक्षा पर ध्यान दे तो यहां 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में **भपतीस मिशन** द्वारा एक गैर सहायता प्राप्त महिला विद्यालय का शुभारम्भ किया गया तथा सभी हिन्दू छात्राओं को देवनागरी लिपि में शिक्षा दी जाती थी । इस क्षेत्र में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। दादरी क्षेत्र में 1900 ई॰ में विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों को अरेबिक धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान करवाया जाता था । लौहारू क्षेत्र में तो स्त्री शिक्षा ओर भी बदत्र थी अर्थात् यहां पर किसी भी स्तर का विद्यालय उपलब्ध नहीं था ।[25]

सन् 1857 ई॰ में रेवाड़ी क्षेत्र में केवल एक माध्यमिक विद्यालय था जिसको सन् 1880 ई॰ में उच्च विद्यालय बनाया गया। सन् 1881–82 ई॰ में यहां पर लड़कियों के लिए केवल 14 जिला बोर्ड प्राथमिक विद्यालय थे जिनमें 335 छात्राएं ही शिक्षा ग्रहण कर रही थी ।[26] इनमें एक धारूहेड़ा, बिकानेर, खोड़ी, मसानी, तुर्कीयास, गुरावदा, शाहजहांपुर, गोकलगढ़, दाहिना, गढी, हसनपुर, जटुसना, भारवास और भलवाडी में खुले थे । यहां पर भी लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई रही । 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक रेवाड़ी तहसील में 30 प्राथमिक विद्यालय तथा एक उच्च विद्यालय चलाया जा रहा था[27] तथा इसी समय एक विद्यालय नारनौल में स्थापित किया गया जिसमें अरेबिक शिक्षा दी जाती थी । जिसमें पहले बगदादी–कायदा व अल–कुरान तथा मिजां–अस–सर्फ, सर्तमीर, नहव–मीर, काफिया और शाफिया आदि पढ़ाया जाता था।[28] 19वीं शताब्दी के उत्तार्द्ध में जिला सिरसा में पाया गया कि लड़कियों को केवल धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी तथा यह शैक्षणिक कार्य घर पर ही होता था क्योंकि लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर जाना मना था ।[29]

बड़ी साफगोई से यह बात स्वीकार की जाती है कि आर्य समाज के अस्तित्व में आने के समय अधिसंख्या हिन्दू स्त्रियों की दशा शोचनीय थी । कई मामलों में तो उनकी हालत पुरुषों से बदत्र थी । एक अनुपात में पुरुषों (यद्यपि जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत) ने सरकार, ईसाई मिशनरियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा खोले गए विद्यालयों, महाविद्यालयों में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी। परन्तु स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत कम कार्य हुआ था। अंग्रेजों की शासन प्रणाली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुरुषों को प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए शिक्षित होना जरूरी पढ़ गया । इस संदर्भ में जिन संस्थाओं ने सराहनीय कार्य किया उनमें पंजाब के आर्य समाज तथा आगरा एवं अवध के संयुक्त राज्यों का ऊँचा स्थान है ।[30]

दक्षिणी–पूर्वी पंजाब अर्थात् हरियाणा क्षेत्र में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती पहली बार 1880 में राव युधिष्ठिर के आग्रह करने पर रेवाड़ी में पधारे ।[31] हरियाणा में आर्य समाज का प्रसार सन् 1883 में स्वामी दयानन्द की मृत्यु के पश्चात् लाला लाजपतराय, पण्डित बस्ती राम, चौ॰ पीरू सिंह, भक्त फूल सिंह लखपतराय, लाला चन्दू राम, डॉ॰ रामजी लाल व राव युधिष्ठिर और उनके पुत्रों के फलस्वरूप हुआ तथा जिन्होंने स्त्री कुरीतियों का विरोध किया और लड़की शिक्षा पर जोर दिया।[32] इनके सहयोग से हरियाणा में कई गुरूकुल व हाई स्कूल खोले गए तथा हिसार व अम्बाला में इस दिशा में इन्होंने ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया ।[33]

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक स्त्री–शिक्षा का प्रचलन बहुत ही कम रहा । यहां केवल 0.07 फीसदी स्त्रियां साक्षर थी ।[34] सन् 1900 ई॰ में वे कुल स्त्री जनसंख्या का 0.33 प्रतिशत से कम विद्यालय जाती थी ।[35] वैचारिक रूप से देखें अम्बाला जिला में लड़कियों के लिए 13 विद्यालय स्थानीय संस्थाओं द्वारा खोले गए । इन सब प्रयासों के बावजूद भी सन् 1900 तक विद्यालय जाने वाली लड़कियों के प्रतिशत में कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई ।[36]

सरकार के अतिरिक्त कई सामाजिक–धार्मिक व जातियाँ संगठन (आर्य समाज तथा सनातन धर्म) भी लोगों को शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध करने की भूमिका बाखुबी से निभा रहे थे । जातियाँ संगठन भी इस दिशा में साहसिक प्रयत्न कर रहे थे । जाट महासभा रोहतक में यादव सभा रेवाड़ी में, वैश्य सभा भिवानी और रोहतक में तथा सैनी, ब्राह्मण इत्यादि भी रोहतक में प्रशंसनीय शैक्षणिक प्रयास कर रहे थे ।[37]

19वीं शताब्दी के दौरान हरियाणा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करने वाले कुछ नीजि संगठनों की स्थिति:[38]

जिला	हिन्दू संगठन	मुस्लिम संगठन	सिक्ख संगठन	क्रिश्चिन संगठन
अम्बाला	11	1	1	1
रोहतक	1	1	–	–
करनाल	4	1	–	–
हिसार	11	2	–	–
गुड़गांव	6	–	–	–

हरियाणा क्षेत्र में स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने के पीछे कई प्रभावशाली कारण थे । इस प्रकार पाया गया कि हरियाणा क्षेत्र अर्थात् दक्षिणी–पूर्वी पंजाब में विद्यालय 15 वर्ग मील की दूरी पर स्थापित था जबकि इसकी अपेक्षा पंजाब में विद्यालय 10 वर्ग मील की दूरी पर खोला गया । पंजाब सरकार इस क्षेत्र (दक्षिणी–पूर्वी पंजाब) में सामाजिक व आर्थिक रूप से कोई ध्यान नहीं रखती अर्थात् पंजाब की अपेक्षा यहां पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था।[39] ब्रिटिश सरकार ने एक शैक्षणिक नीति के द्वारा पंजाब के जमीन मालिकों व जमीदारों के बच्चों के लिए विशेष रूप से शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई । जैसे 1886 ई॰ में लाहौर में जो कॉलेज स्थापित किया गया था । उसमें उन छात्रों के दाखिले रद्द किए गए जो ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले थे । इस प्रकार हरियाणा क्षेत्र भी पंजाब का ग्रामीण क्षेत्र होने से उपरोक्त नियम का यहां पर कार्यावित्त होना संभव था । जिससे इस क्षेत्र में शिक्षा को काफी नुकसान पहुंचा ।[40] इसके साथ–साथ पंजाब के सभी क्षेत्रों में कुछ कुरीतियाँ फैली हुई थी जिनमें एक थी पर्दा प्रथा। रूढ़िवादी लोग इस प्रथा को बनाए रखे हुए थे । मुस्लिम समुदाय इसको धर्म से जुड़ी रीति मानते थे जबकि दूसरी तरफ हिन्दू भी इसको महत्त्व देते थे और इसको व्यवहारिक जीवन में अपनाते थे।[41] राजपूत परिवारों में तो यह प्रथा और भी अधिक सख्त प्रवृति में प्रचलित थी ।[42] इस कुप्रथा से विशेषकर हिन्दू और सिखों में स्त्री शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ा क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण के लिए बाहर जाना मनाही था । जबकि इससे मुस्लिम स्त्रियों का व्यक्तित्व व रहन सहन का स्तर बढ़ा ।[43] एम॰एल॰ डार्लिंग ने दर्शाया कि यहां पर दुल्हनें (स्त्रियां), अपनी सुन्दरता बनाए रखने, पशुओं की देखभाल व घरेलू कार्यों के लिए तथा अतिथियों के मनोरंजन के लिए भी खरीदी व बेची जाती थी । इसके साथ–साथ यहां पर एक से अधिक पत्नियां रखने की कुप्रथा भी प्रचलित थी ।[44] यहां पर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को जन्म देना अधिक पसन्द करते थे क्योंकि पुरुष अपनी जमीन का वारिस व खेत में हल चलाने वाला पुत्र, और रक्षा करने वाला सैनिक ज्यादा चाहते थे ।[45]

हरियाणा क्षेत्र में स्त्रियां बहुत कठिन कार्य करने में लगी रहती थी। वे पुरुषों की भांति खेत में हल चलाने का कार्य भी करती थी । खासकर रोहतक में स्त्रियाँ पंजाब की अपेक्षा ज्यादा मेहनती व कठिन कार्य करने में अग्रसर रही । ये दुध दोहना, घास काटना, घरेलू कार्य, फसल काटना, बच्चे पालना यहां तक की लघु उद्योग व हस्तशिल्प, उद्योगों में कार्य भी करती थी ।[46] मुस्लिम महिलाओं की अपेक्षा सिख महिलाओं की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हद तक सन्तोषजनक रही ।[47]

पंजाब की अपेक्षा हरियाणा क्षेत्र में स्त्री शिक्षा काफी पिछड़ी हुई थी अर्थात् निरक्षरता स्तर अधिक ज्यादा था । इस क्षेत्र में प्राथमिक, मिडल व उच्च विद्यालयों, व महाविद्यालयों की संख्या बहुत कम थी।[48] यहां पर पंजाब की अपेक्षा कोई भी तकनीकी, मेडिकल, इंजिनियरिंग व दूसरे व्यवसायिक विषय के एक भी महाविद्यालय नहीं खुला था ।[49] इसके साथ–साथ 19वीं शताब्दी के उत्तार्द्ध में सामाजिक–धार्मिक संगठन भी अपने मार्ग से भटकते नजर आए । सन् 1890 ई॰ के पश्चात् स्त्री उच्च शिक्षा को लेकर आर्य सामाजियों में मत भेद पैदा हो जाता है । उपरोक्त विषय के संदर्भ में लाला

लाजपतराय तथा लालचन्द प्रमुख थे । दोनों ने स्त्रियों की प्राथमिक शिक्षा को सहृदय स्वीकार किया । परन्तु स्त्री उच्च शिक्षा का विरोध किया । उन्होंने पूर्व उद्धरणों को स्वीकार करते हुए अतीत से लेकर वर्तमान तक मेरी मान्यता रही है कि पुरुषों में शिक्षा के प्रसार की सख्त तथा महत्त्वपूर्ण जरूरत है परन्तु स्त्रियों की शिक्षा उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई सहयोग दें यह आवश्यक नहीं । जिसके नतीजातन स्त्री शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ा ।[50]

वैचारिक रूप से देखें 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में स्त्री शिक्षा में कुछ सुधार अवश्य हुआ क्योंकि कुछ नौजवान सेना में प्रवेश कर चुके थे जो अब शिक्षित पत्नियों की इच्छा मन में रखने लगे थे । इसी प्रकार अब कुछ माता–पिता लड़कियों की शिक्षा की गुणवत्ता पहचानने लगे थे । इसके परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा में कुछ सुधार अवश्य हुआ पर यह सुधार निम्नतर था। 19वीं शताब्दी में यहां पर एक भी महिला महाविद्यालय नहीं था।[51] नहरी कालोनियों में रहने वाले व्यक्तियों ने स्त्री शिक्षा को कुछ बढ़ावा दिया। ये लोग चाहते थे कि लड़कियां पढ़ती रहे। एम॰ एल॰ डार्लिंग ने निरीक्षण किया कि केन्द्रीय पंजाब व नहरी कालोनियों में हरियाणा की तुलना में स्त्री शिक्षा स्तर अधिक अच्छा था । क्योंकि इस क्षेत्र में नहरों के अभाव में कालोनी व्यवस्था भी नहीं थी । इस प्रकार 19वीं शताब्दी के अन्त तक हरियाणा में स्त्री शिक्षा असन्तोषजनक रही थी।[52]

इस प्रकार राधा कुमार ने अपनी कृति **स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800–1990** में टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं उस व्यवस्था को प्रोत्साहित नहीं करूंगा जो उन्हें राष्ट्रीय चरित्रिक गुणों से वंचित कर दे । हम अपनी लड़कियों को ऐसी शिक्षा नहीं देंगे जो उनकी सोच बदल दें ।[53] यहां हमने देखा कि स्त्री शिक्षा में सुधार को लेकर कुछ प्रयास अवश्य हुए तथा जिससे 19वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा की स्थिति में कुछ सुधार आया फिर भी 19वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा पिछड़ी ही रही अर्थात् असन्तोषजनक बनी रही ।

संदर्भ सूची

1. एस॰ पी॰ शुक्ला, *पूर्वोक्त,* पृ॰ 20

2. प्रेम चौधरी, द एडवान्टेज ऑफ बैकवर्डनैसः कोलोनियल पोलिसी एंड एग्रीकल्चर इन हरियाणा, *द इण्डियन इकनोमिक एंड सोशल हिस्ट्री रिव्यू,* वोल्यूम ग्ग्प्प्, दिल्ली, 1986, पृ॰ 263.

   वर्तमान में अम्बाला डिविजन से जिला शिमला को पृथक् करके हरियाणा प्रदेश बनाया गया ।

3. के॰ सी॰ यादव, *हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति,* भाग–2, नई दिल्ली, 1982, पृ॰ 67

4. द गजेटियर ऑफ इण्डिया, वोल्यूम –2, दिल्ली, 1973, पृ॰ 655

5. के॰ सी॰ यादव, *पूर्वोद्धृत,* पृ॰ 69–70

6. के॰ सी॰ यादव, *पूर्वोद्धृत,* पृ॰ 110

7. चतर सिंह, *सोशल एंड इक्नोमिक चेंज इन हरियाणा,* दिल्ली 2004, पृ॰ 16

8. प्रोसिडिंग, पंजाब हिस्ट्री कान्फ्रेंस 40वी॰ सैंसन–2008, पंजाबी युनिवर्सिटी, पटियाला, 2009, पृ॰ 484–485

9. द गजेटियर ऑफ इण्डिया, वोल्यूम –2, दिल्ली, 1973, पृ॰ 656

10. चतर सिंह, *पूर्वोद्धृत,* पृ॰ 17

11. द गजेटियर ऑफ इण्डिया, वोल्यूम –2, दिल्ली, 1973, पृ॰ 640

12. जगदीश चन्द, *फ्रीडम स्ट्रगल इन हरियाणा, 1919–1947,* कुरुक्षेत्र, 1982, पृ॰ 6

13. सोनीपत डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1990, पृ॰ 303

14. गिरिजा खन्ना व मरियम, *ए वर्गीस इण्डियन वीमैन टूडे,* दिल्ली, 1978ए पृ॰ 1

15. उदयशंकर व सी॰एल॰ कुण्डू, *एजूकेशन इन हरियाणा,* कुरुक्षेत्र–1971, पृ॰ 2–4

16. के॰ सी॰ यादव, *हरियाणा का इतिहास,* भाग–3, नई दिल्ली, 1982, पृ॰ 192

17. राधा कुमार, *स्त्री संघर्ष का इतिहास, 1800–1990,* नई दिल्ली, 2002, पृ॰ 56

18. पंजाब शिक्षा रिपोर्ट–1863–1864, पृ॰ 25

19. के॰सी॰ यादव, *हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति,* भाग–2, नई दिल्ली, 1982, पृ॰ 67–70

20. *उपरोक्त,* पृ॰ 75

21. *उपरोक्त,* पृ॰ 106

22. चतर सिंह, *पूर्वोद्धृत,* पृ॰ 20, 1860–61 से 1870–71 तक के दशक की सूचि इस पुस्तक से ली गई है ।

23. एस ए रहमान, *पूर्वोद्धृत,* पृ॰ 106

24. *अम्बाला डिस्ट्रिक्ट गजेटियर,* 1984, पृ॰ 285

25. *भिवानी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर,* 1982, पृ॰ 448

26. *गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट गजेटियर,* 1983, पृ॰ 586

27. *महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर,* 1988, पृ॰ 265–66

28. उपरोक्त, पृ॰ 266

29. सिरसा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1988, पृ॰ 262

30. राधा कुमार, *पूर्वोद्धृत,* पृ॰ 52

31. *महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट गजेटियर,* 1988, पृ॰ 45

32. एस॰ सी॰ मित्तल, हरियाणा : *ए हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव,* दिल्ली–1980, पृ॰ 66

33. उदय शंकर, सी॰ एल॰ कुण्डू, *पूर्वोद्धत,* पृ॰ 9

34. *पंजाब जनगणना रिर्पोट,* 1901, पृ॰ 74

35. *रोहतक डिस्ट्रिक्ट गजेटियर,* 1970, पृ॰ 256

36. *अम्बाला डिस्ट्रिक्ट गजेटियर,* 1981, पृ॰ 283

37. उदयशंकर व सी॰ एल॰ कुण्डू, *पूर्वोद्धत,* पृ॰ 10

38. चतर सिंह, *पूर्वोद्धत,* पृ॰ 17

39. जगदीश चन्द्र, पूर्वोद्धत, पृ॰ 8

40. इयान टेलबोट, *पूर्वोद्धत,* पृ॰ 57

41. प्रोसिडिंग, *पूर्वोद्धत,* पृ॰ 528

42. एम॰एल॰ डार्लिंग, *वीजडम एंड वेस्ट इन द पंजाब विलेज,* लंदन, 1934, पृ॰ 110

43. *उपरोक्त,* पृ॰ 307–308

44. एम॰एल॰ डार्लिंग, *द पंजाब पीजैंट इन प्रोस्पेरिटी एंड डैब्ट,* दिल्ली 1925, पृ॰ 49–50

45. एम॰एल॰ डार्लिंग, *वीजडम एंड वेस्ट इन द पंजाब,* लंदन 1934, पृ॰ 282–283

46. प्रोसिडिंग्स, *पूर्वोद्धत,* पृ॰ 529

47. एम॰एल॰ डार्लिंग, *वीजडम एंड वेस्ट इन द पंजाब,* लंदन 1934, पृ॰ 111–112

48. उदयशंकर व सी॰एल॰ कुण्डू, *पूर्वोद्धत,* पृ॰ 11

49. चतर सिंह, *पूर्वोद्धत,* पृ॰ 20

50. राधा कुमार, *पूर्वोद्धत,* पृ॰ 72

51. के॰ सी॰ यादव, *हरियाणा का इतिहास,* भाग–3, दिल्ली, 1982, पृ॰ 215

52. प्रोसिडिंग, *पूर्वोद्धत,* पृ॰ 529–31

53. राधा कुमार, *पूर्वोद्धत,* पृ॰ 72